जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 153 दि. 02.05.17

आदेश

विषयः– लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के अंतिम निस्तारण के संबंध में।

लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के अंतिम निस्तारण हेतु स्थायी आदेश सं 16/11ए दिनांक 25.10.2016 के द्वारा वी.सी.आर भरने एवं उनके अंतिम निस्तारण के संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

उपरोक्त विषय में तीनों डिस्कॉम्स के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में चर्चा की गई एवं दिनांक 31.03.2016 तक के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के अंतिम निस्तारण के संबंध में एक योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैः–

1. दिनांक 31.03.2016 तक की समस्त लम्बित वी.सी.आर की सूचना संकलित करके दिनांक 30.09.2017 तक यथा संभव उनका निस्तारण किया जावेगा।

2. परि. व संघारण शाखा से संबंधित लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों की सूचना संकलित करने के लिये वृत के प्रावैधिक सहायक जिम्मेदार होंगे। वे अपने वृत की सूचना संकलित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अधीक्षण अभियंता (सतर्कता) को उपलब्ध करायेंगें। संबंधित अधिशाषी अभियंता (ओ एंड वी) अपने खंड से संबंधित लम्बित वी.सी.आर की सूचना वृत के प्रावैधिक सहायक को उपलब्ध करायेगे एवं अधिशाषी अभियंता (ओ एंड वी) लम्बित वी.सी.आर के निस्तारण के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगे।

3. वृत के ए.टी.वी.एस–नोडल ऑफिसर वृत में सतर्कता शाखा की लम्बित वी.सी.आर की सूचना संकलित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अधीक्षण अभियंता (सतर्कता) को उपलब्ध करायेगे एवं उनका राजस्व निर्धारण स्वयं/संबंधित एटीवीएस अधिकारी से करवाकर संबंधित सहायक अभियंता (पवस) को उपलब्ध करायेगे। सतर्कता शाखा से संबंधित लम्बित जांच प्रतिवेदनों के निस्तारण के लिये जिले के ए.टी.वी.एस–नोडल ऑफिसर जिम्मेदार होगे।

4. विद्युत चोरी से संबंधित सतर्कता जांच प्रतिवेदन जिनकी एफ.आई.आर दर्ज हो चुकी है, उनका निस्तारण संबंधित थानाधिकारी दिनांक 31.08.2017 तक सुनिश्चित करेंगे।

5. दिनांक 31.03.2016 तक के विद्युत चोरी, दुरूपयोग एवं त्रुटिपूर्ण मीटर से संबंधित लम्बित सतर्कता जाँच प्रतिवेदनों **(सतर्कता शाखा से संबंधित)** के मामलों में राजस्व निर्धारण वर्तमान में पदस्थापित ए.टी.वी.एस अधिकारी दिनांक 20.06.2017 तक करके संबंधित उपखंड अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। इसी प्रकार **प.व.स. शाखा** के लंबित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के मामलों में राजस्व निर्धारण प.व.स. शाखा के वर्तमान में पदस्थापित सहायक अभियंता द्वारा किया जावेगा। सहायक अभियंता प.व.स. दोनों शाखाओं (सतर्कता एवं प.व.स.) की लंबित वी.सी.आर का राजस्व निर्धारण का नोटिस उपभोक्ताओं को दिनांक 30.06.2017 तक देना सुनिश्चित करेंगे।

6. **वाद के निस्तारण हेतु कमेटी का गठनः–**
दिनांक 31.03.2016 तक की विद्युत चोरी (उपभोक्ता एवं गैर उपभोक्ता), दुरूपयोग या त्रुटिपूर्ण मीटर से संबंधित वी.सी.आर जिनका राजस्व निर्धारण करके दिनांक 30.06.2017 तक नोटिस दिये गये है अथवा पूर्व में दिनांक 31.03.2016 तक की वी.सी.आर जिनका राजस्व निर्धारण हो चुका है, परन्तु वसूली अभी तक नहीं हुई हैं, से असंतुष्ट उपभोक्ताओं/गैर उपभोक्ताओं के वाद के निस्तारण हेतु अधीक्षण अभियंता (वृत) की अध्यक्षता में योजना अवधि (दिनांक 30.09.2017 तक) के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगेः–

1. अधीक्षण अभियंता (वृत)	:	अध्यक्ष
2. संबंधित अधिशाषी अभियंता (ओ एंड वी)	:	सदस्य
3. वृत लेखाधिकारी	:	सदस्य
4. सतर्कता/ऑडिट/मीटर शाखा से संबंधित अधिकारी (यदि राजस्व निर्धारण/जांच उनके द्वारा की गई है)	:	सदस्य

विद्युत चोरी (उपभोक्ता एवं गैर उपभोक्ता) दुरूपयोग या त्रुटिपूर्ण मीटर के जांच प्रतिवेदन के संबंधित राजस्व निर्धारण से असंतुष्ट उपभोक्ता/व्यक्ति उपरोक्त कमेटी के समक्ष दिनांक 31.08.2017 तक राजस्व निर्धारण की 10 प्रतिशत राशि एवं पंजीयन शुल्क रू. 500/– जमा करवाकर अपना वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।

उक्त सभी प्रकार के प्रकरणों यथा उपभोक्ता एवं गैर उपभोक्ता के चोरी के मामले, विद्युत दुरूपयोग के मामले एवं त्रुटिपूर्ण मीटर के मामलों का राजस्व निर्धारण निरीक्षण तिथि को प्रचलित नियमानुसार ही किया जावेगा। उपरोक्त कमेटी प्रकरण के निस्तारण में साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होगी। इस योजना के अंतर्गत गठित कमेटी एक माह में यथासंभव वाद का निस्तारण सुनिश्चित करेगी। उपरोक्त समिति दिनांक 30.09.2017 तक ही प्रभावी रहेगी।

यदि नोटिस अवधि में विद्युत चोरी के मामलों में उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता राजस्व निर्धारण राशि जमा नहीं कराते है अथवा वी.सी.आर निस्तारण समिति के समक्ष आवेदन नहीं करते हैं तो ऐसे मामलों में उनकी संबंधित जाँच अधिकारी/सहायक

अभियंता (पवस) दिनांक 30.09.2017 के पश्चात् एफ.आई.आर दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त लम्बित वी.सी.आर पर की गई कार्यवाही की सूचना संबंधित उपखंड अधिकरी वृत कार्यालय के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक संलग्न परिशिष्ट 'अ' में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. <u>प्रोत्साहन राशि</u> :–

इस योजना के अंतर्गत विद्युत चोरी (उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता) के प्रकरणों में किये गये राजस्व निर्धारण/कमेटी द्वारा निर्धारित राशि की वसूली पर निगम को हुई अतिरिक्त राजस्व वसूली के फलस्वरूप 20 प्रतिशत प्रशमन राशि (Compounding amount) के समतुल्य विशेष प्रोत्साहन राशि वैधानिक दायित्व राशि की वसूली में से निर्धारण अधिकारी, नोडल अधिकारी, राजस्व/लेखा कर्मियों व पुलिस अधिकारियों/विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना कर्मियों को परिशिष्ट–ब के अनुरूप नियमानुसार देय होगी।

इस योजना में दिनांक 31.03.2016 तक के लंबित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों का अंतिम निस्तारण दिनांक 30.09.2017 तक यथासंभव हो जाना चाहिये।

संलग्नः परिशिष्ट–अ व ब

आज्ञा से

02/5/17

(एम. आर. मीणा)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, ( ) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न–की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़/ जैसलमेर /सिरोही।
- अधीक्षण अभियंता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइड पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु) ।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एंव रोकड) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/ बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़।
- प्रावेधिक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,..............................(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

वाणिज्य / जोधपुर डिस्कॉम– 782

परिशिष्ट अ

DETAILS OF ASSESSMENT/REALIZATION/F.I.R. OF PENDING VCR'S CASES PRIOR TO 31.03.2016

NAME OF CIRCLE:

S.No.	Name of Sub-Div.	No. of pending VCR's		No. of cases in which assessment made	No. of cases in which notice issued	N. of cases in which amount deposited	No. of cases in which consumer approached to VCR disposal committee	No. of cases disposed by VCR disposal committee	No. of cases in which FIR lodged	Remark
		Theft	Misuse/Meter Defective							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

परिशिष्ट ब

ILLUSTRATION SHEET REGARDING PAYABLE INCENTIVE ON THE RECOVERY AGAINST PENDING VCR'S U/S 135 OF E.A.ACT 2003

Recipient	Proposed distribution of payable incentive equivalent to 20% amount of compounding charges to be paid from the recovered provisional assessment /amount finalized by the committee (say incentive amount is Rs.100)	
	Without FIR	**After FIR**
(1) Vigilance/O&M personnel		
(i) Nodal Officer of ATVS/O&V/O&M*	10	5
(ii) Assessing Officer	30	10
(iii) Acctt./ARO/Jr. Acctt.*	20	10
(iv) Dealing Revenue Staff of O&M sub. Div.*	20	5
(v) Monitoring Cell of Corporate Vig. office	20	5
(2) Police personnel		
(i) Dy.S.P.(Vig.)	-	5
(ii) SHO, APTPS	-	10
(iii) I.O. of APTPS	-	10
(iv) Sub-ordinate Police personnel of APTPS	-	40

***Entitelment of incentive:-**

(i) Nodal Officer (ATVS) posted in circle will be entitled for the concerned VCRs of Vigilance wing and Nodal officer(O&V/O&M) will be entitled for the concerned VCRs of O&M wing.

(ii) Acctt./Jr. Acctt. of ATVS will be entitled for the concerned VCRs of Vigilance wing and ARO of sub-division will be entitled for the concerned VCRs of O&M wing.

(iii) Dealing Revenue staff of O&M sub-division will be entitled for the VCRs of Vigilance and O&M wing both.

*****